तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मोतीलाल सिंघानिया निवासी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा प्रकरण संख्या :– 72 / 2023 जीसीएमएस नं. :– (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.02.2024	–: निर्णय :– 1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 06.09.2023 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से चाही गई थी, परन्तु आवेदन से वांछित सूचना कार्यालय तहसीलदार, भीलवाड़ा से संबंधित होने से लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अधिनियम की धारा 6(3) के तहत उक्त आवेदन लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा को अंतरित किया गया, परन्तु रेस्पोडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा ने जरिये पत्रांक / सू0अ0 / 2024 / 96 दिनांक 15.01.2024 से इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वांछित सूचना / जवाब कार्यालय तहसीलदार, भीलवाड़ा के पत्रांक / विविध / 2024 / 02 दिनांक 15.01.2024 द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें। 4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना / जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति / प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है तथा वह रेस्पोडेण्ट के जवाब से संतुष्ट है। 5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। 6. निर्णय आज दिनांक 14.02.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (नमित मेहता) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा जिला कलक्टर भीलवाड़ा	